

माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले , प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली - 110001	Book Post <table><tr><td>2 Rs Stamp</td><td>2 Rs Stamp</td></tr></table>	2 Rs Stamp	2 Rs Stamp
2 Rs Stamp	2 Rs Stamp		

भेजने वाले का नाम.....	वोटर नंबर.....
वार्ड नंबर मोहल्ला	जिला व राज्य.....
भेजने की तारीख.....	चिट्ठी नंबर.....

(मतदाता के लिए सूचना : यदि आप वोट वापसी पासबुक चाहते है तो ऊपर 4 रू के डाक टिकेट चिपकाकर अपना नाम पता भरे और आने वाली 5 तारीख को इसे लेटर बॉक्स में डालें। कृपया चिट्ठी नम्बर अवश्य लिखे। अधिक जानकारी के लिए इस बुकलेट का अंतिम पेज देखें. यदि आप यह पत्र मुख्यमंत्री को भेज रहे है, तो एड्रेस बॉक्स में “ मुख्यमंत्री कार्यालय ” लिखकर अपने राज्य की राजधानी का नाम लिखे, और “प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली” को काट दें)

रेडो – नागरिको द्वारा जिला स्तर के अधिकारीयों को निकालने एवं दण्डित करने का प्रस्तावित क़ानून
(Proposed Notification ; REDO - Right to Expel & Punish District level Officers)

कानून का सार : इस प्रस्तावित क़ानून के गेजेट में प्रकाशित होने के बाद प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब नागरिक यह बता सकेंगे कि वे मौजूदा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिला जज की नौकरी चालू रखना चाहते है, या उन्हें निकाल कर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है। साथ ही शिक्षा-चिकित्सा एवं जिला न्याय विभाग से सम्बंधित शिकायतों की सुनवाई करने तथा दंड देने की शक्ति जजो के पास नही, बल्कि आम नागरिको की ज्यूरी के पास रहेगी। इस कानून को संसद या विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे अधिसूचना के रूप में राज्य सरकार के गेजेट में सीधे छाप सकते है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा भी केंद्र सरकार के गेजेट में छाप जा सकता है। #Redo105 , #VoteWapsiPassBook , #P20180436105

टिप्पणी : इस ड्राफ्ट में दो भाग है - (I) नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश, (II) नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश। टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक व अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है।	
भाग (I) : सभी नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश	
01	इस क़ानून के गेजेट में छपने के बाद आपको यानी प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी।
02	तब यदि आप अपने जिला पुलिस प्रमुख, जिला जज, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के काम काज से संतुष्ट नहीं है तो उसे नौकरी से निकालने के लिए पटवारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी स्वीकृति हाँ के रूप में दर्ज करवा सकेंगे। आप अपनी स्वीकृति SMS, ATM या मोबाईल एप से भी दर्ज करवा सकेंगे।
03	आप अपनी स्वीकृति किसी भी दिन रद्द कर सकते है एवं किसी भी अन्य प्रत्याशी को किसी भी दिन स्वीकृत कर सकते है। जब आप किसी प्रत्याशी के लिए हाँ दर्ज करेंगे या अपनी स्वीकृति रद्द करेंगे तो पटवारी इसकी एंट्री आपकी वोट वापसी पासबुक में करेगा।
04	यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तथ्य-सबूत आदि देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा।

भाग (II) : नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश	
05	इस क़ानून में अभिभावक शब्द का अर्थ होगा - 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के पिता या उनकी माता, जो उस जिले का मतदाता भी हो। जब तक अभिभावक की सूची नहीं बनती, प्रत्येक मतदाता जो 23 और 45 वर्ष के बीच है, इस राजपत्र अधिसूचना के लिए अभिभावक माना जायेगा। अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी की नौकरी चालू रखने या निकाल दिए जाने के लिए हाँ दर्ज कर सकेंगे।
06	पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला जज एवं जूरी प्रशासक के लिए योग्यताएं
	(6.1) पुलिस प्रमुख के लिए : यदि 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भारतीय नागरिक जो पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए किसी जिले में पुलिस प्रमुख नहीं रहा हो, तथा जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक सेना में काम किया हो, या पुलिस विभाग में एक भी दिन काम किया हो, या सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो अथवा उसने राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओं की लिखित परीक्षा पास की हो, अथवा उसने विधायक या सांसद या पार्षद या जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिला पुलिस प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर सकेगा।
	(6.2) चिकित्सा अधिकारी के लिए : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसे ऐलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी या भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी इसके समकक्ष किसी अन्य चिकित्सा विज्ञान का मान्यता प्राप्त चिकित्सक होने के लिए आवश्यक जैसे MBBS, BAMS या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त किये हुए 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हो, तो वह जिला चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकेगा।
	(6.3) जिला जज के लिए : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो एवं उसे LLB की शिक्षा पूर्ण किये हुए 5 वर्ष हो चुके हो तो वह जिला जज पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
	(6.4) शिक्षा अधिकारी एवं जूरी प्रशासक के लिये : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो तो वह जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला न्यायावादी (जूरी प्रशासक) पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
07	धारा 06 में दी गयी योग्यता धारण वाला कोई भी नागरिक यदि जिला कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से ऐफिडेविट प्रस्तुत करता है, तो जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा उसे एक सीरियल नम्बर जारी करेगा।
08	मतदाता द्वारा उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए हाँ दर्ज करना
	(8.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या मतदाता पहचान पत्र के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जिला जज, जूरी प्रशासक के उम्मीदवारों के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ दर्ज करेगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशियों के नाम व मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाइट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशियों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
	(8.2) स्वीकृति (हाँ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रुपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
	(8.3) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृति रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा ।
	(8.4) प्रत्येक महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने में प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियों का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।
	टिप्पणी : रेंज वोटिंग : प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नहीं करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय (Arrow's Useless Impossibility Theorem) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है।]
	टिप्पणी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि मतदाता अपनी हाँ SMS, ATM, मोबाईल एप से दर्ज करवा सके।

09	<p>पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं जिला जज की नियुक्ति एवं निष्कासन</p> <p>(9.1) पुलिस प्रमुख एवं शिक्षा अधिकारी के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं (सभी मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने हाँ दर्ज की है) के 50% से अधिक मतदाता किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते हैं तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, या सबसे अधिक हाँ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख या शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्ति के बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।</p> <p>(9.2) जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जूरी प्रशासक के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते हैं तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कर सकते हैं।</p> <p>(9.3) जिला जज के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते हैं तो मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख कर उसकी नियुक्ति के लिए विनती कर सकते हैं, या अपना इस्तीफा दे सकते हैं। नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे।</p> <p>(9.4) जिला शिक्षा अधिकारी के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी अभिभावकों के 35% से अधिक अभिभावक किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते हैं तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कर सकते हैं।</p>
10	<p>जिला पुलिस प्रमुख के लिए गुप्त मतदान की अतिरिक्त प्रक्रिया एवं कार्यकाल</p> <p>(10.1) मुख्यमंत्री एवं राज्य के सभी मतदाता राज्य चुनाव आयुक्त से विनती करते हैं कि, जब भी जिले में कोई आम चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव करवाया जाएगा तो इन चुनावों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त एस.पी. के चुनाव के लिए भी मतदान कक्ष में एक अलग से मतपत्र पेट्टी रखेगा, ताकि जिले के मतदाता यह तय कर सकें कि वे मौजूदा एस.पी. की नौकरी चालू रखना चाहते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को एस.पी. की नौकरी देना चाहते हैं।</p> <p>(10.2) यदि कोई उम्मीदवार जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं (सभी, न कि केवल वे जिन्होंने वोट किया है) के 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे सकते हैं, या 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।</p>
11	यदि कोई व्यक्ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमति नहीं देंगे। किन्तु यदि पुलिस प्रमुख गुप्त मतदान की प्रक्रिया में जिले के 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री उसे पद पर बनाए रख सकते हैं।
12	राज्य के सभी मतदाताओं के 50% से अधिक मतदाताओं की स्पष्ट स्वीकृति लेकर मुख्यमंत्री किसी जिले में पुलिस प्रमुख के लिए नागरिकों द्वारा स्वीकृत करने की इस प्रक्रिया एवं उसके स्टाफ पर ज्यूरी ट्रायल को 4 वर्षों के लिए हटाकर अपनी पसंद का नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं। किन्तु मुख्यमंत्री शिक्षा अधिकारी, जिला जज, जूरी प्रशासक एवं चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृत करने की प्रक्रियाएँ तब भी जारी रख सकते हैं।
13	मतदाताओं या अभिभावकों की स्वीकृति से नियुक्त हुआ शिक्षा अधिकारी एक से अधिक जिलों का भी शिक्षा अधिकारी बन सकता है। वह किसी राज्य में अधिक से अधिक 5 जिलों का, और भारत भर में अधिक से अधिक 20 जिलों का शिक्षा अधिकारी बन सकता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी जिले का शिक्षा अधिकारी 8 वर्षों से अधिक समय के लिए नहीं रह सकता है। यदि वह एक से अधिक जिलों का शिक्षा अधिकारी है तो उसे उन सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी के पद का वेतन, भत्ता, बोनस आदि मिलेगा।
14	<p>पुलिस, शिक्षा, न्यायालय एवं चिकित्सा विभाग के मामलों का नागरिकों की जूरी द्वारा निपटान</p> <p>[टिप्पणी : मुख्यमंत्री जूरी मंडल के गठन एवं संचालन के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रियाएँ गेजेट में प्रकाशित करेंगे, जिन्हें इस कानून में जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री के अलावा कोई अन्य मतदाता भी इसी कानून की धारा 15.1 का प्रयोग करते हुए ऐसी आवश्यक प्रक्रियाएँ जोड़ने का शपथपत्र दे सकता है।]</p>

	(14.1) जूरी प्रशासक जिले की मतदाता सूची में से 30 सदस्यीय महाजूरी मंडल की नियुक्ति करेगा। इनमें से हर 10 दिन में 10 सदस्य रिटायर होंगे और नए 10 सदस्यों का चयन मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा कर लिया जाएगा। यह महाजूरी मंडल निरंतर काम करता रहेगा। महाजूरी सदस्य को प्रति उपस्थिति 500 रु एवं यात्रा व्यय मिलेगा।
	(14.2) यदि पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, जिला जज, चिकित्सा अधिकारी या उनके स्टाफ से सम्बंधित कोई भी मामला है तो वादी अपने मामले की शिकायत महाजूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते हैं। यदि महाजूरी मंडल मामले को निराधार पाते हैं तो शिकायत खारिज कर सकते हैं, अथवा इस मामले की सुनवाई के लिए एक नए जूरी मंडल के गठन का आदेश दे सकते हैं।
	(14.3) मामले की जटिलता एवं आरोपी की हैसियत के अनुसार महा जूरी मंडल तय करेगा कि 15-1500 के बीच में कितने सदस्यों की जूरी बुलाई जानी चाहिए। तब जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा सदस्यों का चयन करते हुए एक जूरी मंडल का गठन करेगा और मामला इन्हें सौंप देगा।
	(14.4) अब यह जूरी मंडल दोनों पक्षों, गवाहों आदि को सुनकर फैसला देगा। प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफाफे में लिखकर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर या जज को देंगे। दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर किये गये निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। किन्तु मृत्यु दंड में 75% सदस्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। जज या ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर सभी के सामने जूरी का निर्णय सुनायेंगे। यदि जज जूरी द्वारा दिए गए फैसले को खारिज करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए अलग से जूरी मंडल होगा, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी। पक्षकार चाहे तो फैसले की अपील उच्च जूरी मंडल में कर सकते हैं।
15	जनता की आवाज
	(15.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
	(15.2) यदि कोई मतदाता धारा 15.1 के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर डाल देगा।

-----प्रस्तावित कानून ड्राफ्ट का समापन-----

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो नागरिकों के लिए इस कानून को समझने में सहायक है

इस कानून की धारा 01 में कहा गया है कि - इस कानून के गेजेट में छपने के बाद हमें एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। मेरा प्रश्न है कि गेजेट क्या है।

(1) गेजेट या राजपत्र क्या होता है ?

गेजेट नोटिफिकेशन या राजपत्र अधिसूचना एक पुस्तिका है जिसका प्रकाशन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा हर महीने या जब भी जरूरत हो तब किया जाता है। गेजेट में मंत्रियों द्वारा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किये जाते। कलेक्टर आदि अधिकारी सिर्फ वही कार्य करते हैं जो गेजेट में लिखा होता है। अधिकारी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि प्रधानमंत्री ने प्रेस में या पब्लिक रेली के भाषण में क्या कहा था। उदाहरण के लिए यदि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रेली में या अपने पार्टी घोषणा पत्र में कहता है कि - प्रत्येक परिवार को 20 लीटर कैरोसिन मिलेगा, लेकिन यदि मंत्री ने गेजेट में 10 लीटर लिखा है तो कलेक्टर प्रत्येक परिवार को 10 लीटर कैरोसिन ही देगा। क्योंकि कलेक्टर को वही करना होता है जो गेजेट में लिखा गया है, न कि वह करना होता है जो भाषण में कहा गया है। यदि कलेक्टर आदि अधिकारी गेजेट का पालन नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है, उन पर फाइन हो सकता है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जन धन योजना और नोटबंदी लागू करने के लिए आदेश गेजेट में ही छपा गया था। यदि 15 धाराओं का यह ड्राफ्ट गेजेट

में छाप दिया जाता है तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी और तब यदि वे अपने नेताओं एवं अधिकारियों के काम काज से संतुष्ट नहीं हैं तो पटवारी कार्यालय में जाकर उन्हें नौकरी से निकालने के लिए अपनी हाँ दर्ज करवा सकेंगे। गेजेट बहुधा अखबारों आदि में छपता रहता है। निचे इसका एक नमूना दिया गया है :

संविधान सं-२०-एन-3304/99

REGD. NO. D.L-3304/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 17] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/चैत्र 16, 1931
No. 17] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नं. 12(सी), 6 जनवरी, 2010

का.आ. 23(अ).—सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (नियंत्रण का अधिनियम) और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार (उद्देश्य: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पत्र संख्या के.एन.ए. 30 जनवरी, 2009 के सं. का.आ. 1866(अ) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है; अर्थात्:—

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के विभाग 30 जनवरी, 2009 के सं. का.आ. 1866(अ) की अधिसूचना में जोड़िये में रूप में जोड़िये 1 से संबंधित तालिका (1) के अंतर्गत मौजूदा प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़िये में जोड़ी गई हैं; अर्थात्:—

एकल विभाग के अंतर्गत प्रविष्टि नं. 1

[सं. सं. के. 1601/7/2005-पैच-1]
को संशोधन, अर्थात्:—

टिप्पण:—नया अधिसूचना 30 जनवरी, 2009 के अधिसूचना सं. का.आ. 1866(अ) के तहत जारी की गयी, संशोधन में प्रविष्टि हुई है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2010

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Manufacture, Sale and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1866(E), dated the 30th July, 2009, namely:—

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1866(E), dated the 30th July, 2009, in the Table, for the existing entries under column (3), relating to serial number 1, the following entries shall be substituted, namely:—

All premises registered under Department of Revenue.

[F.No. P-1601/7/2005-PH-1]
V. VENKATACHALAM, Add. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 1866(E), dated the 30th July, 2009.

The Gujarat Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LII] THURSDAY, MARCH 3, 2011/PHALGUNA 12, 1932 [No. 9

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

CENTRAL SECTION

CONTENTS

Part	Pages	Part	Pages
Part I Government Notifications, Appointments, promotions, leave of Absence, Rules and Orders (other than those Published in parts I-A, IV-A, IV-B and IV-C), List of Publication for sale, etc.	183-189	Part IV-A Rules and orders (other than those Published in Parts I, I-A and I-L) made by the Government of Gujarat under the Central Acts.	87-89
Miscellaneous Notifications, Appointments, etc.	190-197	Part IV-B Rules and orders (other than those Published in Parts I, I-A and I-L) made by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.	16
Part I-A Orders of Notifications (other than those Published in Part IV-B) under the Gujarat Local Boards, Village Panchayats, Municipal, Borough, District Municipal, Primary Education and Local Fund Audit Acts.	NIL	Part IV-C Statutory Rules Orders (other than those Published in Parts I, I-A and I-L) made by Statutory Authorities other than the Government of India, the High Court, the Director of Municipalities, the Commissioner or Police, the Director of Prohibition and Excise, the District Magistrates and the Election Commission, Election Tribunals, Returning Officers and other authorities under the Election Commission.	37-40
Part I-B Government Notifications Published under Land Acquisitions Act only.	NIL	Part V Bills Introduced in the Gujarat Legislative Assembly.	NIL
Part II Supplementary Tender Notices issued by the Industries Commissioner (C.S.P.O.), Director of Health & Medical Service (Medical), Gujarat; State Director of Technical Education, the Chief Conservator of Forests, Vaidyars and Director of Nangpower, Employment and training, Ahmedabad, etc. (For subscribers only).	NIL	Part VI Acts of Parliament and Ordinance promulgated by the President.	NIL
Part IV Acts of Gujarat Legislature and Ordinances promulgated and Regulations made by the Governor.	NIL	Part IX Gujarati translation of Bills, Acts and Notifications other than those published in other Parts.	59-65

49 022010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

I-Cent.-50

183

(2) इस क़ानून की धारा 02 में लिखा हुआ है कि, "आप अपनी स्वीकृति SMS, ATM या मोबाईल एप से भी दर्ज करवा सकेंगे।" लेकिन ज्यादातर लोगो को ये चलाना नहीं आता, और इंटरनेट बिना यह सब कैसे चलेगा ?

यदि आप SMS से स्वीकृति देना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में अपना मोबाईल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। लेकिन पटवारी कार्यालय में जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी हाँ दर्ज कर सकता है। आप जिस भी तरीके से अपनी स्वीकृति दें, इसकी एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। और आप किसी भी दिन पटवारी कार्यालय जाकर अपनी पासबुक अपडेट करवा सकते हैं। जैसे जब आप ATM से रुपया निकालते हैं तो इसकी एंट्री तुरंत आपकी बैंक पासबुक में नहीं आती, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो इसकी एंट्री करवा लेते हैं। फिर हर महीने कलेक्टर जिले भर की एवं हर हफ्ते पटवारी अपने इलाके की कुल स्वीकृतियों की संख्या सार्वजनिक कर देगा। इस तरह यह सिस्टम वोट वापसी पासबुक, पटवारी कार्यालय और कलेक्टर ऑफिस पर टिका हुआ है, मोबाईल, इंटरनेट या वेबसाईट पर नहीं। (कृपया धारा 8.4 देखें)

(3) भारत को इस क़ानून की जरूरत क्यों है ?

लगभग 240 साल पहले जब अमेरिका इंग्लैंड से आजाद हुआ, और वहां वोट देने का क़ानून आया तो नागरिकों ने कहा कि अगर चुनाव जीतने के बाद नेता हमारी बात सुनना बंद कर देंगे तो हम उसे 5 साल से पहले कैसे हटायेंगे। इस समस्या के इलाज के लिए अमेरिका में वोट वापस लेने का क़ानून भी लाया गया। वोट वापस लेने का क़ानून होने से अमेरिका के नागरिक जब देखते हैं कि कोई नेता या अधिकारी एकदम निकम्मा हो गया है, तो वे उसे हटाने के लिए 5 साल तक इन्तज़ार नहीं करते, बल्कि अपना वोट वापस लेकर उसे पहले ही बदल देते हैं। निकाले जाने के डर की वजह से अमेरिका के नेता एवं अधिकारी अपने काम में लगातार सुधार करते रहते हैं। जो अपना काम नहीं सुधारता उसे वहां के नागरिक नौकरी से निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह प्राइवेट कम्पनी में यदि कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता तो मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है। छांटने की इस प्रक्रिया के कारण वहां भ्रष्ट आदमी पद पर नहीं रह पाता। इसके अलावा जब किसी नेता या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो मुकदमे की सुनवाई जज की जगह नागरिकों

की जूरी करती है। जूरी सिस्टम के कारण भ्रष्ट नेताओं-अधिकारियों को तुरंत दंड मिलता है और वे सलीके से काम करते हैं। जब भारत आजाद हुआ और वोट देने का कानून आया तो भारतीय नागरिकों ने भी यह मांग की थी कि वोट वापिस लेने का कानून भी बनाओ, ताकि निकम्मे एवं भ्रष्ट नेता-मंत्री-अधिकारी को हम छांट कर नौकरी से निकाल सकें। पर उस समय के नेता भारत के आम नागरिकों को वोट वापिस लेने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, अतः उन्होंने इस कानून को गेजेट में छापने से मना कर दिया। उन्होंने कहा -- **"अभी भारतीयों के लिए वोट देने का कानून ही काफी है, और वोट वापिस लेने का कानून हम बाद में बना देंगे" !!** और फिर बाद में, बाद में कहकर यह कानून पिछले 70 सालों से टलता आ रहा है। तो भारतीयों के पास भ्रष्ट एवं निकम्मे नेताओं-अधिकारियों को नौकरी से निकालने का कोई तरीका नहीं होने के कारण चुनाव जीतने के साथ ही नेताओं को 5 साल की और सरकारी अधिकारी को 30 साल की पट्टेदारी मिल जाती है। इस कानून को लाये बिना नेताओं एवं अधिकारियों के काम काज में सुधार नहीं लाया जा सकता।

(4) वोट वापसी पासबुक मिलने के बाद हम किन किन अधिकारियों एवं नेताओं का वोट वापिस ले सकते हैं ?

इस कानून के गेजेट में आने के बाद आम भारतीय को अपने जिला एसपी, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं जिला जज को नौकरी से निकालने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन एक बार हम भारतीयों को यदि वोट वापसी पास बुक मिल जाती है तो बाद में इसमें विधायक, सांसद, सरपंच, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के पत्रे भी जोड़े जा सकते हैं।

(5) लोग छोटी छोटी बात पर रोज अपने नेता या अधिकारी को निकालने लगेंगे तो क्या होगा ?

जिस तरह सिर्फ आपके वोट से नेता नहीं चुना जाता उसी तरह सिर्फ आपके वोट वापिस लेने से अधिकारी या नेता को नहीं निकाला जा सकेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि किसी जिले में 20 लाख मतदाता हैं तो एसपी सिर्फ तभी निकाला जाएगा जब कम से कम 11 लाख लोग कहे कि मौजूदा एसपी को निकालकर अमुक व्यक्ति को एसपी बनाना चाहिए। यदि 51% नागरिक यह नहीं बताते कि मौजूदा एसपी को हटाकर किस आदमी को एसपी बनाना है तो, मौजूदा एसपी की नौकरी चालू रहेगी। इस तरह जब नागरिक 51% के बहुमत से बताएँगे कि वे X को एसपी बनाना चाहते हैं तो X एसपी बनेगा और मौजूदा एसपी को निकाल दिया जायेगा। अतः सिर्फ वोट वापिस लेने से किसी को नहीं निकाला जाएगा। अधिकारी या नेता सिर्फ तब बदला जाएगा जब जिले के 51% मतदाता बहुमत से नए आदमी के लिए अपनी सहमती दें।

(6) एस पी एवं शिक्षा अधिकारी को तो हम चुनते नहीं हैं। फिर उनकी वोट वापसी क्यों होनी चाहिए ?

जब शहर में अपराध बढ़ जाते हैं, सरकारी स्कूल-अस्पताल बदतर हो जाते हैं तो आप सरकार के पास जाते हैं, धरना-प्रदर्शन करते हैं और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। और यदि मुख्यमंत्री की मर्जी हो तो वे अधिकारी का ट्रांसफर कर देते हैं, या गंभीर गलती होने पर उन्हें सस्पेंड करते हैं। इस तरह मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों के काम काज पर जनता को जवाब देता है। अभी यदि किसी शहर में पुलिस एकदम बेकार काम कर रही है और जिले के मतदाता यदि एसपी को हटाना चाहते हैं तो उन्हें पूरी सरकार को ही हटाना पड़ता है। पर इस कानून के आने के बाद सभी जिलों के नागरिक अलग अलग यह बता सकेंगे कि वे अपने जिले के एसपी की नौकरी चालू रखना चाहते हैं, या नहीं। और तब मुख्यमंत्री बहुमत का सम्मान करते हुए किसी एसपी को निकाल सकते हैं। यही स्थिति शिक्षा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी के साथ रहेगी। अतः नेताओं के साथ साथ अधिकारियों पर भी वोट वापसी जरूरी है, ताकि निकम्मे एवं भ्रष्ट अधिकारियों को निकालने के लिए पूरी सरकार को हिलाने की जरूरत न पड़े। (कृपया धारा 09 देखें)

(7) एस.पी. अगर स्वीकृतियां लेने के लिए नागरिकों को धमकाएगा तो क्या होगा ?

पहली बात, एस.पी. बनने के लिए लाखों स्वीकृतियों की जरूरत होगी। किसी भी व्यक्ति या एस.पी. के पास इतना बल नहीं होता कि वे लाखों आदमियों को रोज धमका कर रख सके। दूसरी बात, यदि पुलिस प्रमुख नागरिकों को धमकाता है, या उसके स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इसकी सुनवाई जज नहीं, बल्कि नागरिकों की जूरी करेगी (कृपया धारा 14 देखें)। जूरी सिस्टम के कारण तत्काल सुनवाई होगी और 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा। मतलब नागरिकों को शिकायत लेकर कोर्ट या नेताओं के यहाँ महीनो तक धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तीसरी बात, इस ड्राफ्ट में गुप्त मतदान भी है (प्रधानमंत्री जी , कृपया इस कानून को गेजेट में छापें ;भेजने वाले का हस्ताक्षर, #Redo105 Page 6

कृपया धारा 10 देखें)। तो जिन लोगो को एस.पी. का भय है उन्हें अगले किसी आम चुनाव या पंचायत चुनाव का इंतजार करना होगा। जब भी कोई चुनाव होंगे तो वे मौजूदा एस.पी. को हटाकर नए एस.पी. के लिए गुप्त मतदान कर सकते हैं।

(8) लोग अपनी जाति के आदमी को एस.पी. बना देंगे तो क्या होगा ?

भारत के किसी भी जिले में किसी भी जाति के मतदाताओं का प्रतिशत 15 से ज्यादा नहीं है, जबकि एस.पी. बनने के लिए कम से कम 51% मतदाताओं के अनुमोदन की जरूरत होगी। इसके अलावा हमने जो प्रक्रिया दी है उसमें मतदाता अपनी पसंद के किन्हीं 5 उम्मीदवारों को स्वीकृत कर सकेगा। तो मान लीजिये कि X एक स्वीकृति अपनी जाति वाले उम्मीदवार को दे देता है, परन्तु अपनी दूसरी, तीसरी स्वीकृति किसी अच्छे एवं जाति निरपेक्ष उम्मीदवार को देगा। इस तरह जो उम्मीदवार अच्छे होंगे उन्हें सभी जातियों की स्वीकृति मिलेगी और उनकी स्वीकृतियों की संख्या बढ़ने से अच्छे जाति निरपेक्ष लोग बढ़त बना लेंगे। (कृपया धारा 8.1 का अंतिम वाक्य देखें)

(9) यह क़ानून गेजेट में आने से पुलिस विभाग में किस तरह के परिवर्तन आयेंगे ?

यह क़ानून आने के 6 महीने के भीतर ही पुलिस के भ्रष्टाचार में 70% तक की गिरावट आ जायेगी। भ्रष्ट और निकम्मे पुलिस प्रमुख निकाल दिए जायेंगे या फिर सुधर जायेंगे। वैसे व्यवहारिक अनुभव यही है कि नागरिकों को 1-2 अधिकारियों को ही निकालने की जरूरत पड़ती है, और शेष अधिकारी नौकरी खोने के डर से तुरंत सुधरना शुरू कर देते हैं।

9.1. एस.पी. नेताओं और मंत्रियों के गलत आदेश मानना बंद कर देगा। यदि वह ऐसा करेगा तो नागरिक बहुमत का प्रयोग करके उसे नौकरी से निकाल देंगे।

9.2. इस समय एस.पी. सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री, जज, डी.आई.जी., सांसद और विधायकों को खुश रखने के हिसाब से ही काम करता है। जब ये लोग एस.पी. को ट्रांसफर और सस्पेंड करने की शक्ति खो देंगे तो एस.पी. इनके चंगुल से आजाद होकर जनहित में काम कर सकेगा।

9.3. जब नेता, आला अधिकारी एवं धनिक एस.पी. पर अपनी पकड़ खो देंगे तो एस.पी. उनके खिलाफ निर्भीक होकर जांच कर सकेगा। आज एस.पी. इनके खिलाफ अपनी इच्छा से जांच नहीं खोल सकता। यदि एस.पी. इनके गलत फैसलों के खिलाफ जाता है तो ये लोग एस.पी. का ट्रांसफर करवा देते हैं। जनता के प्रति जवाबदेह होने के कारण एस.पी. के साथ साथ पूरे पुलिस विभाग के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वे जनता के साथ अच्छे से पेश आयेंगे।

क्या आम नागरिक किसी पुलिस थाने में उसी तरह से मुक्त रूप से जा सकते हैं जिस तरह से किसी अन्य सरकारी कार्यालय जैसे बैंक आदि में जाते हैं ? दरअसल भारत के तमाम नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति एक अदृश्य भय है। आम तौर पर किसी भी समाज में सिर्फ 0.5% के लगभग अपराधी होते हैं, किन्तु पुलिस सामान्यतया ज्यादातर आम नागरिकों के साथ रूखाई से ही पेश आती है। यह क़ानून आने से यह स्थिति पूरी तरह से पलट जायेगी।

(10) इस क़ानून के आने से सरकारी अस्पतालों एवं स्कूलों में क्या सुधार आएगा ?

यदि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी जायेगी, वांछित मात्रा में सोनोग्राफी, एक्स रे, एम आर आई आदि जांचों की मशीनें पर्याप्त होंगी तो निजी अस्पतालों को होने वाले मुनाफे में कमी आ जायेगी। इसी वजह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा मंत्री निजी अस्पतालों के मालिकों से घूस खाकर सरकारी अस्पतालों को बदतर बनाए रखता है। डॉक्टर्स एवं सुविधाओं की कमी होने कारण सरकारी अस्पतालों में लम्बी लाइनें लगी रहती हैं, और मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है। निजी अस्पतालों के जाल में फंस कर बड़े पैमाने पर नागरिक पैसा और स्वास्थ्य गँवा रहे हैं। निजी अस्पताल नागरिकों को अपने ग्राहकों की तरह देखते हैं, मरीजों की तरह नहीं।

आज यदि कोई चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पतालों को सुधारना भी चाहता है तो भ्रष्ट चिकित्सा मंत्री उसे ऐसा नहीं करने देता। यह क़ानून आने के बाद भ्रष्ट चिकित्सा मंत्री का जिला चिकित्सा अधिकारी पर कोई नियन्त्रण नहीं रह जाएगा। तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पतालों को ठीक करेगा, वर्ना नौकरी गँवाएगा। नौकरी जाने के भय से चिकित्सा अधिकारी तुरंत चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करना शुरू कर देगा। ठीक इसी तरीके के बदलाव सरकारी स्कूलों में आयेंगे।

इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए एक नागरिक के रूप में आप क्या सहयोग कर सकते हैं ?

- (1) कृपया अपना नाम-पता लिखकर एवं 4 रुपये का डाक टिकट चिपका कर इसे 5 तारीख को लेटर बॉक्स में डालें। यदि यह आपकी पहली चिट्ठी है तो “चिट्ठी नम्बर” के खाने के सामने 1 एवं यह आपकी दूसरी चिट्ठी है तो 2 लिखें। लेटर बॉक्स में डालने से पहले इस बुकलेट के पहले पेज की एक फोटो कॉपी करवा लें।
- (2) प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले इस बुकलेट के पहले पेज की जो 1 पेज की फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका दें। फिर जब भी आप चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के अन्य पन्नों पर चिपकाते रहें। इस तरह आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा।
- (3) यदि आपके पास यह बुकलेट उपलब्ध नहीं है तो आप ड्राफ्ट की टेबल में दी गयी 15 धाराओं की फोटो कोपी करवाकर इसे लिफाफे में डालकर भी भेज सकते हैं। यदि इसे लिफाफे में डालें तो लिफाफे पर बुक पोस्ट लिखें और 4 रु का टिकट चिपकाएँ। यदि आप एक बार चिट्ठी भेज चुके हैं तो आइन्दा 5 तारीख को आप पोस्टकार्ड भी भेज सकते हैं। पोस्टकार्ड में यह लिखें : “ प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको तारीख 5-5-2019 को जो चिट्ठी भेजी थी, उसमें दिए गए क़ानून को गेजेट में छापें। #P20180436105 , #Redo105 , #VoteWapsiPassbook “
- (4) कृपया एक बार चिट्ठी भेजकर रुक न जाएं। जब तक यह क़ानून गेजेट में प्रकाशित नहीं होता तब तक यथासंभव हर महीने पीएम को चिट्ठी भेजते रहें। यदि आप सिर्फ एक बार चिट्ठी भेजेंगे तो पीएम भी इसे भूल जायेंगे और आप भी भूल जायेंगे। साथ ही अन्य नागरिकों को भी चिट्ठी भेजने को कहें।
- (5) प्रधानमंत्री कार्यालय में रोज सैंकड़ों चिट्ठियां आती हैं, और सभी चिट्ठियों को पढ़ा जाता है। अतः आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते हैं। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखकों का मानना है कि सभी नागरिकों को यह चिट्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को ही भेजना चाहिए। ऐसा क्यों ? मान लीजिये किसी शहर से किसी महीने में 50 लोग अलग अलग दिन यह चिट्ठी भेजते हैं तो इसे उतना नोटिस नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि ये 50 चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती हैं तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और प्रधानमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में आसानी होगी। अतः पूरे देश के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। आप चाहे तो किसी भी दिन ये चिट्ठी भेज सकते हैं। किन्तु तब भी महीने की 5 तारीख को भी अवश्य भेजें, और फिर जहाँ तक हो सके हर महीने की 5 तारीख को चिट्ठी भेजते रहें। यदि आप इतनी असुविधा उठाने को तैयार हैं तो इस क़ानून के आने की सम्भावना बढ़ जाएगी।
- (6) यदि आप फेसबुक पर हैं तो मेरी प्रधानमंत्री जी से मांग नाम से एक एल्बम बनाएं और इस एल्बम में रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो खींचकर रखें। फिर जब भी आप पीएम को चिट्ठी भेजें तब फेसबुक एल्बम को रजिस्टर से अपडेट करते रहें। ऐसा करने से अन्य नागरिकों तक भी इस क़ानून की जानकारी पहुंचेगी एवं वे भी प्रधानमंत्री जी को यह क़ानून ड्राफ्ट भेजने के लिए प्रेरित होंगे। इसीलिए सिर्फ चिट्ठी भेजना ही जरूरी नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है कि आपने यह चिट्ठी भेजी है।
- (7) यदि आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो 5 या 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी को रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो ट्विट करें। ट्विट में यह हेश टैग भी लिखें : #P20180436105, #Redo105, #VoteWapsiPassbook
- (8) यह एक विकेंद्रित जन आन्दोलन है, एवं आम नागरिकों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आन्दोलन का कोई नेता नहीं है। 15 धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते हैं करें। किसी संगठन या नेता के भरोसे पर न रहें। इस बुकलेट की 1000 प्रतियाँ छापाने में लगभग 2000 रु का खर्च आता है। आप अपने मित्रों के सहयोग से इन्हें छपवाकर नागरिकों में बाँट सकते हैं।